FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

पीरे खां बनाम मुरे खां वगैरह

किस्म मुकदमा राज. आवेदन नं. 64/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/02/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणछोड़राम मिमाणा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 05/04/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
05/04/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील होकर तामील शुदा/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 12/07/2021 को पेश हो। [signature]	
12/07/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी [illegible] गये, जिनकी रसीद प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 02/10/2021 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:05:01 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / वाद /

02/10/2021

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट में रखी गई, प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये। जो उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत लेण-देण आये हुए हैं। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतो के मध्य जो पुरानी मेड़ व धोरे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य खेत के लेणे का सही ज्ञान करने हेतु नेरवमबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेरवमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेरवमबन्दी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेरवमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाबत् को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेरवमबन्दी दोनों पक्षो के खर्च मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:05:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 1214 दिनांक : 02/10/2021

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1. पीरेखां पुत्र वलीमोहम्मद जाति तेली निवासी जसनाथ नगर तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. भुरेखां पुत्र हुसैन खां वगैरा निवासी जसनाथ नगर तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 64 / 21

आदेश

मौजा जसनाथ नगर पटवार हल्का बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 804 / 714 रकबा 0.6634 हैक्टयर की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

प्रभारी अधिकारी ... 2021

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 1215 to 1219 दिनांक : 02/10/2021

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी पीरेंखा।
4. विप्रार्थीगण भूरेखां वगैरा।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:05:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु